**भारत सरकार**
**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3395**

दिनांक 08 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

## पोषण अभियान योजना का कार्यान्वयन

3395. **श्री इमरान मसूदः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान पोषण अभियान और अन्य संबंधित योजनाओं के अंतर्गत बच्चों में कुपोषण और महिलाओं में रक्ताल्पता की दर को कम करने में सरकार द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में नवीनतम आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन में, विशेषरूप से दूरदराज के क्षेत्रों में, किसी बड़ी चुनौती/बाधा की पहचान की है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच समन्वय को और मजबूत करने हेतु सरकार द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने और इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कोई नई पहल की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री**
**(श्रीमती सावित्री ठाकुर)**

**(क) से (ङ):** 15वें वित्त आयोग के तहत, कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में

14-18 वर्ष की आयु) के लिए योजना जैसे विभिन्न घटकों को सक्षम आंगनवाड़ी तथा पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) नामक व्यापक मिशन के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित मिशन है जिसके विभिन्न कार्यकलापों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। यह मिशन एक सार्वभौमिक स्व-चयनित व्यापक योजना है, जहां किसी भी लाभार्थी के लिए पंजीकरण कराने और सेवाएं प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं है। इस मिशन को पूरे देश में कार्यान्वयन किया जा रहा है । इस मिशन के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- देश के मानव पूंजी विकास में योगदान करना;
- कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना;
- स्थायी स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पोषण जागरूकता तथा अच्छी खान-पान की आदतों को बढ़ावा देना

पोषण केवल भोजन करने तक सीमित नहीं है, इसके लिए उचित पाचन, अवशोषण और चयापचय (मेटाबोलिज्म) की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया स्वच्छता, शिक्षा तथा स्वच्छ पेयजल जैसे कारकों से प्रभावित होती है। चूंकि कुपोषण के लिए भोजन, स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता, शिक्षा इत्यादि को शामिल करते हुए- बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, इसलिए कुपोषण के मुद्दे का प्रभावी ढंग से समाधान करना महत्वपूर्ण है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 18 मंत्रालयों/विभागों बीच परस्पर तालमेल (क्रॉस कटिंग) स्थापित करके कुपोषण की चुनौती का समाधान किया जा रहा है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और पक्ष समर्थन जैसे कार्यकलापों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने तथा स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती एवं प्रतिरक्षा में सुधार के लिए एक नई कार्यनीति बनाई गई है। इसमें मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) / मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि कुपोषण, ठिगनेपन, रक्ताल्पता (एनीमिया) और अल्प वजन की व्यापकता को कम किया जा सके।

इस योजना के तहत बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण दिया जाता है ताकि जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर पीढ़ियों से चले आ रहे कुपोषण के चक्र को समाप्त किया जा सके। पूरक पोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को जनवरी 2023 में संशोधित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी-विशिष्ट थे, तथापि, संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में अधिक व्यापक और संतुलित हैं जिसमें गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा सूक्ष्म पोषक तत्व(कैल्शियम, जिंक,

आयरन, आहारीय फोलेट, विटामिन-ए, विटामिन-बी6 और विटामिन बी-12) संबंधी प्रावधान किए गए है।

सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने तथा महिलाओं और बच्चों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कम से कम एक बार पका हुआ गर्म भोजन तथा टेक होम राशन तैयार करने के लिए मिलेट (श्री अन्न) के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण को रोकने और उसका इलाज करने तथा इससे जुड़ी रुग्णता एवं मृत्यु दर को कम करने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) के लिए संयुक्त रूप से प्रोटोकॉल जारी किया है। समुदाय-आधारित दृष्टिकोण में समुदाय में गंभीर कुपोषण से ग्रस्त बच्चों का समय पर पता लगाना और उनकी जांच करना, चिकित्सीय जटिलताओं रहित बच्चों का घर पर ही पौष्टिक स्थानीय खाद्य पदार्थों के साथ प्रबंधन करना और सहायक चिकित्सा देखभाल प्रदान करना शामिल है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1992-93 से संचालित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के विभिन्न चरणों से पूरे भारत में बच्चों में कुपोषण के संकेतकों में सुधार देखने को मिला है। एनएफएचएस -1 से एनएफएचएस -5 तक बच्चों के लिए इन संकेतकों का विवरण नीचे दिया गया है:

| **एनएफएचएस सर्वेक्षण** | **बौनेपन %** | **अल्प वजन%** | **दुबलापन %** |
|---|---|---|---|
| एनएफएचएस -1 (1992-93)* | 52 | 53.4 | 17.5 |
| एनएफएचएस -2 (1998-99)** | 45.5 | 47 | 15.5 |
| एनएफएचएस -3 (2005-6)*** | 48.0 | 42.5 | 19.8 |
| एनएफएचएस -4 (2015-16)*** | 38.4 | 35.8 | 21.0 |
| एनएफएचएस -5 (2019-21)*** | 35.5 | 32.1 | 19.3 |

* 4 वर्ष से कम

** 3 वर्ष से कम
*** 5 वर्ष से कम

उपर्युक्त तालिका प्रासंगिक समय पर 0-3 वर्ष, 0-4 वर्ष और 0-5 वर्ष की आयु के सभी बच्चों में कुपोषण संकेतकों की तस्वीर प्रस्तुत करती है।

वर्ष 2021 के लिए भारत में 5 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनुमानित जनसंख्या 13.75 करोड़ है (स्रोत: भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)। तथापि जून, 2025 के आंकड़ों के अनुसार, 5 वर्ष तक के केवल 7.36 करोड़ बच्चे ही आंगनवाड़ी केंद्र में नामांकित हैं और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत हैं। इनमें से 7 करोड़ बच्चों का लम्बाई और वजन विकास मापदंडों पर मापन किया गया है। इनमें से 37.07% बच्चे बौने पाए गए, 15.93 % बच्चे अल्प वजन वाले और 5.46% बच्चे दुबले पाए गए।

उपरोक्त एनएफएचएस आंकड़ों और पोषण ट्रैकर आंकड़ों के विश्लेषण से संपूर्ण भारत में बच्चों में कुपोषण संकेतकों में सुधार दिखाई देता है।

बौनापन, दुबलापन और अल्प वजन पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आंकड़े https://www.poshantracker.in/statistics लिंक से प्राप्त किए जा सकते हैं।

इस मिशन के तहत शुरू किए गए प्रमुख कार्यकलाप में से एक कार्यकलाप पोषण संबंधी पहलुओं पर लोगों को शिक्षित करने के लिए सामुदायिक जुड़ाव और जागरूकता एडवोकेसी करना है क्योंकि पोषण की अच्छी आदत को अपनाने के लिए व्यवहार परिवर्तन के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। समुदाय आधारित कार्यक्रमों (सीबीई) ने पोषण पद्धतियों को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में कार्य किया है तथा सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रति माह दो समुदाय आधारित कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता होती है। जन आंदोलन के अंतर्गत, पोषण पखवाड़ा और राष्ट्रीय पोषण माह 2018 से क्रमशः मार्च-अप्रैल और सितंबर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब तक, कुल 7 पोषण माह और 7 पोषण पखवाड़ा आयोजित किए जा चुके हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 18 से अधिक साझेदार मंत्रालयों/विभागों के समन्वय से मातृ पोषण के महत्व, स्तनपान की उपयुक्त तकनीक, पूरक आहार की समय पर शुरुआत का महत्व, जीवन के पहले 1000 दिन, पोषण के पंच सूत्र, एनीमिया, जनजातीय संवेदीकरण, मोटा अनाज संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण, ईसीसीई इत्यादि सहित विभिन्न विषयगत क्षेत्रों पर 140 करोड़ से अधिक आउटरीच गतिविधियों की सूचना दी है।

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार के लिए समय-समय पर विभिन्न कदम उठाए गए हैं। हाल ही में शुरू की गई कुछ पहलें निम्नलिखित हैं:

- मंत्रालय ने 12 सितंबर, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम - सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण (2.0), नियम, 2022 जारी किए हैं ताकि प्रत्येक गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माता के लिए, बच्चे के जन्म के छह माह बाद तक और छह माह से छह वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट अधिकारों को विनियमित किया जा सके।
- जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला पोषण समिति (डीएनसी) को मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत पोषण कार्यकलापों की विकेन्द्रीकृत योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में परिकल्पित किया गया है। डीएनसी के कामकाज को सुदृढ़ और संस्थागत बनाने के लिए, जिला पोषण समितियों के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश विकसित किए गए हैं, जिनमें नियमित समीक्षा बैठकों के लिए सुझाए गए डेटा टेम्पलेट भी शामिल हैं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य बहु-क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ाना, सेवा प्रदायगी में सुधार करना और जिला स्तर पर महिलाओं और बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार के लिए लक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
- आज तक, बेहतर पोषण प्रदायगी और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं विकास के लिए 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नत करने की स्वीकृति दी गई है। सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों को पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों की तुलना में बेहतर बुनियादी ढाँचा प्रदान किया जाता है जिसमें इंटरनेट/वाई-फाई कनेक्टिविटी, एलईडी स्क्रीन, वाटर प्यूरीफायर/आरओ मशीन की स्थापना और स्मार्ट लर्निंग उपकरण शामिल हैं।
- सरकार ने प्रत्येक लघु आंगनवाड़ी केंद्र को एक पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्र में उन्नत करने का नीतिगत निर्णय लिया है जिसमें एक कार्यकर्ता और एक सहायिका की नियुक्ति की जाएगी ताकि मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत विभिन्न जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता मिल सके, जिसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से संबंधित जिम्मेदारियां भी शामिल हैं। 08.07.2025 तक 1,11,363 लघु-आंगनवाड़ी केन्द्रों को मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्रों में उन्नयन करने की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

- पोषण ट्रैकर एक आईसीटी उपकरण है जिसे परिभाषित संकेतकों पर आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) और लाभार्थियों में बुनियादी ढांचे और सेवा प्रदायगी की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए क्रियान्वित किया गया है।
- सेवा प्रदायगी की अंतिम लाभार्थी तक निगरानी के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने टेक-होम राशन के वितरण हेतु फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (एफआरएस) विकसित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल पोषण ट्रैकर में पंजीकृत लाभार्थी को ही लाभ मिले। 1 जुलाई, 2025 से टीएचआर वितरण के लिए एफआरएस को अनिवार्य कर दिया गया है।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए प्रधानमंत्री जनमन मिशन का उद्देश्य 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में निवास करने करने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का लक्षित विकास करना है। यह मिशन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सहित 9 प्रमुख मंत्रालयों से संबंधित 11 महत्वपूर्ण कार्यकलापों पर केंद्रित है। अभी तक देश भर में प्रधानमंत्री जनमन के तहत कुल 2500 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण को स्वीकृति दी जा चुकी है।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय ने धरती आबा जनजाति ग्राम उन्नत अभियान (डीएजेजीयूए) शुरू किया है जिसका उद्देश्य जनजातीय बहुल क्षेत्रों और आकांक्षी ब्लॉक अनुसूचित जनजाति गाँवों में जनजातीय परिवारों के पूर्ण कवरेज को अपनाकर जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के इस प्रयास में वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29 तक 2000 नए सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना और 6000 मौजूदा आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नत करना शामिल है।
- जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए, पर्यवेक्षकों के लिए एक सहायक पर्यवेक्षण मॉड्यूल शुरू किया गया है ताकि वे अपने अधीन आंगनवाड़ी केंद्रों के कामकाज की निगरानी कर सकें। ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर हीट मैप और एनालिटिक्स वाले डैशबोर्ड उपलब्ध हैं। ये उपकरण समय पर निर्णय लेने में सहायता करते हैं, लक्षित समाधान की अनुमति देते हैं और सुधार के लिए आंकड़ें की विसंगतियों को उजागर करते हैं।
- सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर 2024 को किया था। भारत सरकार की इस पहल का उद्देश्य सुदृढ़ पोषण सेवाओं, सामुदायिक भागीदारी और बहु-हितधारक अभिसरण के माध्यम से पोषण संबंधी परिणामों और कल्याण में सुधार लाना है। सर्वोच्च 1000 ग्राम पंचायतों को 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इन प्रोत्साहनों का उपयोग आंगनवाड़ी

कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को सेवा प्रदायगी में सुधार लाने के लिए प्रेरित करने हेतु किया जाएगा, जिससे ग्राम पंचायत को सामुदायिक जुड़ाव में सुधार करने, नामांकन बढ़ाने और पोषण संबंधी पहलों में सहायता करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

****